न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 50/2019 ::
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2019/00175 ::

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. घेवरचंद पुत्र नारायण जाति नाई 2. मघाराम पुत्र कुपाराम जाति चौधरी 3. भंवरलाल पुत्र मगनाराम जाति हिरागर 4. ओमप्रकाश पुत्र बालुसिंह जाति राजपुरोहित, निवासीगण गांव रूंगड़ी, तहसील रानी जिला पाली		1. मृत भगवानदास पुत्र धुलदास जाति साद वैष्णव के विधिक प्रतिनिधि :– 1/1 अमरदास पुत्र भगवानदास 1/2 मांगीलाल पुत्र भगवानदास जातिगण साद वैष्णव निवासी गांव रूंगड़ी, तहसील रानी जिला पाली 1/3 बिदामी पत्नी रामदास 1/4 पिस्ता पत्नी बस्तीराम जातिगण साद वैष्णव निवासी गांव डुठारिया तहसील रानी जिला पाली

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970
उपस्थित :–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार व्यास
अप्रार्थी संख्या 1/2, 1/3 व 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 13/03/2020

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 06.05.1976 किए गए भू आवंटन के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गय। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं मूल आवंटन आदेश तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम रूंगड़ी तहसील रानी में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 37 रकबा 0.2000 हैक्टर किस्म चाही दोयम जिसके पुराने खसरा नम्बर 9 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाडी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि आवंटन योग्य नहीं होने के बावजूद भी आवंटन कमेटी बाली द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 06.05.1976 को विधि विरूद्ध आवंटन किया गया। जो काबिल निरस्त है। भू आवंटन कमेटी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना भूमि की किस्म परिवर्तित कर अप्रार्थी के हक में आवंटन कर दिया। जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके देहान्त पश्चात उसके वारिसों अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 का कभी कोई कब्जा–कास्त नहीं रहा है। इसके बावजूद तत्कालीन तहसीलदार द्वारा बिना किसी कब्जे की जांच किये विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या एक के नाम खातेदार के रूप में दर्ज कर दी गई, जबकि विधिनुसार कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते थे। जैर प्रार्थना पत्र आराजी का उपयोग प्रारम्भ से ही ग्रामवासियों द्वारा सार्वजनिक पिचके के रूप में किया जा रहा है। इस संबंध में दिनांक 25.05.2018 को राजस्व केम्प सांवलता में अप्रार्थी संख्या 1 के वारिशान ने शुद्धि पत्र का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि सार्वजनिक पिचका, तालाब व गोचर की भूमि किसी भी रूप में आवंटन योग्य नहीं है और

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अगर आवंटन कर भी दिया गया है, तो उसे निरस्त कर संवत् 2012 की स्थिति बहाल करने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है। जैर प्रार्थना पत्र आंवटन के संबंध में न तो आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन समिति की बैठक बुलाई गई, न ही किसी प्रकार कोई आपत्ति की मांग की गई। जैर प्रार्थना पत्र आवंटन राजस्व कर्मचारियों एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने मिलावट कर जारी कर दिया। जो काबिल निरस्त है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने तथ्यों की ताईद में RRT 2005(1) PAGE 59 ABDUL RAHMAN VS STATE OF RAJASTHAN, 2019 (1) CJ (CIVIL) (RAJ) PAGE 152 KANTILAL VS STATE OF RAJASTHAN, RRT 2017 (1) RAGE 501 BHANWARLAL VS SARPANCH GRAM PANCHAYAT BHAVI & ANR. AND RRD MAY 2008 PAGE 332 STATE OF RAJ. VS MST. MUKIMO & ORS.न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/2, 1/3 व 1/4 ने वक्त बहस कथन किया कि उनके पिता अप्रार्थी संख्या 1 भगवानदास एक भूमिहीन खेतीहर व्यक्ति थे, जिनके द्वारा आवंटन कमेटी समक्ष आवेदन करने पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर भू आवंटन अधिकारी ने दिनांक 06.05.1976 को भगवानदास के पक्ष में रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किस्म बारानी दोयम का आवंटन किया गया। जिसकी पालना में 5/– रूपये जरिये रसीद संख्या 10859/10 दिनांक 06.05.1976 के जमा कराने पर, उसके पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज कर, उन्हें कब्जा सुपूर्द किया गया। इसके पश्चात से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा लगातार उक्त भूमि पर खेती की जा रही थी। उनके देहान्त के पश्चात उनके वारिसान द्वारा उक्त भूमि पर खेती की जा रही है तथा उक्त आराजी पर आवंटन के पश्चात से ही भगवानदास एवं उसके देहान्त के पश्चात से उसके वारिसों का कब्जा–काश्त जारी है। अपने इन तथ्यों की ताईद में अधिवक्ता प्रार्थी ने संवत् 2054 की गिरदावरी पेश की, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भगवानदास द्वारा रायड़ा की खेती की गई है, संवत् 2066 की गिरदावरी पेश की जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 भगवानदास के वारिसो द्वारा मकी की खेती की गई है तथा वर्तमान में भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर कृषि कार्य किया जा रहा है। वक्त आवंटन उक्त आराजी की किस्म बारानी दोयम ही थी, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 एक अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण उसके द्वारा जो प्रार्थना पत्र आवंटन हेतु पेश किया गया, उस फॉर्म के किस्म गै.मु. नाड़ी दर्ज कर दी गई, जबकि आवंटन कमेटी द्वारा प्रार्थना पत्र के दूसरे हिस्से पर जो आदेश किया गया है, उसमें भूमि की सही किस्म बारानी दोयम ही अंकित की गई है, मात्र प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा जानकारी के अभाव में किस्म गलत दर्ज करने से भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं हो जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो का पालना की है, जिसके कारण ही तहसीलदार ने उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किए है। विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को एकबार खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा चुके हो तो, उसके पक्ष में किया गया आवंटन केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिए गए प्रावधानों के तहत ही निरस्त किया जा सकता है, न कि नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत, अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन नियम 14(4) के तहत निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो पोषणीय नहीं है। जैर प्रार्थना पत्र आराजी अब्दुल रहमान के प्रकरण से संबंधित भूमि भी नहीं है, अगर होती तो तहसीलदार द्वारा आवंटन को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया जाता, लेकिन उक्त आराजी काबिल काश्त भूमि है तथा किसी प्रकार के जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। प्रार्थीगण मात्र चार व्यक्ति ही जो समस्त गांव को प्रतिनिधित्व कर रहे है, जबकि वे अप्रार्थीगण से रंजिश रखते है, इस कारण वे आवंटन के लगभग 43 वर्ष पश्चात मिथ्या तथ्यों के आधार पर उन्हें जैर प्रार्थना पत्र आराजी से बेदखल करना चाहते है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें। अधिवक्ता

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अप्रार्थीगण ने अपने तथ्यों की ताईद में RRT 2007(2) PAGE 1194 RAJ. HIGH COURT KIRSHNA KUMAR VS STATE AND RRT 2008(2) PAGE 834 BOARD OF REVENUE PYARELAL & ANR. VS RAJARAM न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों को ससम्मान आद्योपांत परिशीलन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किए गए आवंटन कमेटी के आवंटन आदेश दिनांक 06.05.1976 को निरस्त कराने हेतु पेश किया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण जैर प्रार्थना पत्र आवंटन इस आशय से निरस्त कराने हेतु पेश किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 व उनके वारिसान का जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा जैर प्रार्थना पत्र आराजी गांव के सार्वजनिक पिचका के रूप में उपयोग में ली जा रही है। यह तथ्य मानने योग्य नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है, किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार तभी दिए जाते है, जब उसके द्वारा आवंटन की शर्तो का पालन किया जाता है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी संवत् 2054–2057, संवत् 2058–2061 एवं संवत् 2066–2069 पेश की है जिसके कॉलम संख्या 7 भूमि वर्गीकरण में चाही दोयम एवं जाव दोयम अंकित है तथा खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति संवत् 2054–2057 में अप्रार्थी भगवानदास द्वारा रायड़ा की खेती करना दर्शाया गया है तथा संवत् 2066–2069 में भगवानदास के वारिसान द्वारा मकी की खेती करना दर्शाया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा कृषि की जाती है। किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिए जाने के पश्चात उसके पक्ष में किया गया आवंटन आदेश राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970–नियम 14(4) के तहत निरस्त नहीं करवाया जा सकता है, इसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना ही उचित उपचार है। इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त यथा RRT 2007(2) Page 1194 (High Court) Krishna kumar vs State of Rajasthan & Ors. –Allotment cannot be cancelled after occrual of khatedari rights-Proper remedy is to file suit for declaration-Held parties are free to file suit for declaration of khatedari rights-Further Interference in impugned order declined.

RRT 2008(2) Page 834 Pyare lal & Anr. Vs Rajaram (BOR) –Allotment cancelled after 13 years when the allottees has already acquired the khatedari rights-After 10 years allottees can only be rejected under the provisions of Tenancy Act & not u/Rule 14(4)-Appellants are the to prove that allottees are not the bonafide agriculturist-Appellants are the trespasser & not justified to give protection-Held, No reasons to interfere in the judgment passed by R.A.A.

"Under Rule 14(4) allotment cannot be cancelled after acquisition of Khatedari rights."

हस्तगत प्रकरण पर स्पष्ट रूप से चस्पा होते है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन नहीं करने योग्य भूमि के संबंध में तथा D.B. Civil Writ Petition No. 1536/2003, Abdul Rahman vs State of Rajasthan & Ors. के निर्णय एवं इससे संबंधित पेश किए है, जो सम्मानीय है, किन्तु प्रकरण के तथ्यों एवं हालातों के अनुसार प्रकरण हाजा पर चस्पा नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "विवादित आवंटन लगभग 40 वर्ष पुराना है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई.आर. 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) है। यह मामला बहुत पुराना है

अति. जिला कलेक्टर, पाली

एवं इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार से भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा। यह न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता हैं, क्योंकि इस प्रकरण में भी आवंटन के लगभग 43 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त इतनी लम्बी अवधि पश्चात आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नही किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं बलहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्याा 1 के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश दिनांक 06.05.1976 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल आवंटन आदेश प्रभारी अधिकारी, रेकर्ड शाखा कलेक्ट्रेट पाली को एवं तहसीलदार रानी को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली

निर्णय आज दिनांक 13/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली